You can~~'t~~ shape London's future.

एक छोटा X बदलाव बड़ा फर्क ला सकता है।

लंदन के मेयर और लंदन विधानसभा चुनावों में अपनी छाप छोड़ें

2 मई 2024

वोट देने के लिए फोटो ID लेकर आएं।
londonelects.org.uk पर और देखें

LONDON ELECTS

2 मई 2024 को लंदन में रहने वाले लोग लंदन के मेयर और लंदन असेंबली के 25 सदस्यों के लिए वोट कर सकते हैं।

मेयर का काम लंदन को शहर में आने वाले, रहने वाले या काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बेहतर जगह बनाना है।

इसमें नीतियां बनाना, बजट सेट करना, प्रमुख कार्यक्रमों की देखरेख करना और दुनिया भर में लंदन को चैंपियन बनाना शामिल है - यह सब मेयर के दृष्टिकोण के अनुरूप और लंदन और लंदनवासियों के हित में है।

लंदन असेंबली 25 सदस्यों से बनी है - 11 सदस्य पूरी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं और 14 लंदन के निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुने जाते हैं।

सिटी हॉल में असेंबली लंदनवासियों की आंख और कान के रूप में कार्य करती है। सदस्य, मेयर की रणनीतियों, निर्णयों और कार्यों को देख कर यह सुनिश्चित करने के लिए मेयर को जवाबदेह ठहराते हैं कि वे जनता के हित में हैं।

कब वोट करें

2 मई 2024 को मतदान केंद्र सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। आपको अपना वोट डालने के लिए पर्याप्त समय पर पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए। **वोट करने के लिए आपको फोटो ID लानी होगी। अगले पेज पर और जानें।** अगर आप पोस्ट द्वारा वोट कर रहे हैं, तो आपको चुनाव से पहले अपना मतपत्र प्राप्त हो जाएगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उन्हें 2 मई 2024 को रात 10 बजे तक वापस कर दें।

कौन वोट कर सकता है

आप वोट कर सकते हैं अगर आप:

- 2 मई 2024 तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं
- लंदन में रहने वाला ब्रिटिश, यूरोपीय संघ या योग्य राष्ट्रमंडल नागरिक जो 16 अप्रैल 2024 तक वोट के लिए पंजीकृत हो गया

आप वोट करने के लिए gov.uk/register-to-vote पर पंजीकरण कर सकते हैं या अपने नगर के चुनावी पंजीकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

कहां वोट करें

वोट करने के 3 तरीके हैं।

1 आपके मतदान केंद्र पर:

- 2 मई से पहले आपको आपके मतदान केंद्र के विवरण के साथ एक 'मतदान कार्ड' भेजा जाएगा।
- आप केवल इस कार्ड पर नामित मतदान केंद्र पर ही वोट कर सकते हैं।
- मतदान केंद्र के कर्मचारी आपसे फोटो ID दिखाने के लिए कहेंगे। वे देखेंगे कि आपकी ID पर मौजूद फोटो आपकी ही तरह है और आपका नाम चुनावी रजिस्टर पर है।
- अगर आपको ज़रूरत हो तो मतदान केंद्र के कर्मचारी आपके मतपत्रों को समझने में आपकी सहायता कर सकते हैं।
- आपको मतदान केंद्र पर अपना मतदान कार्ड अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इससे कर्मचारियों को मदद मिलेगी।

फोटो ID के स्वीकृत फॉर्म

मतदान केंद्र पर वोट करते समय आप निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की फोटो ID का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय यात्रा

UK, किसी भी चैनल द्वीप समूह, आइल ऑफ मैन, एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र, एक यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) राज्य या एक राष्ट्रमंडल देश (आयरिश पासपोर्ट कार्ड सहित) द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट।

ड्राइविंग और पार्किंग

UK, कोई भी चैनल आइलैंड, आइल ऑफ मैन या EEA राज्य द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस (इसमें एक प्रोविज़नल ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है) एक ब्लू बैज।

स्थानीय यात्रा

- वृद्ध व्यक्ति का बस पास जो UK सरकार द्वारा वित्त पोषित हो
- विकलांग व्यक्ति का बस पास जो UK सरकार द्वारा वित्त पोषित हो
- ऑयस्टर 60+ कार्ड UK सरकार द्वारा वित्त पोषित है
- स्वतंत्रता पास
- रियायती यात्रा के उद्देश्य से जारी स्कॉटिश नेशनल एंटाइटेलमेंट कार्ड (60+, विकलांग या 22 वर्ष से कम उम्र के बस पास सहित)
- 60 और उससे अधिक वेल्श रियायती यात्रा कार्ड
- विकलांग व्यक्ति का वेल्श रियायती यात्रा कार्ड
- उत्तरी आयरलैंड में सिनियर SmartPass जारी किया गया
- उत्तरी आयरलैंड में पंजीकृत ब्लाइंड SmartPass या ब्लाइंड व्यक्ति का SmartPass जारी किया गया
- उत्तरी आयरलैंड में युद्ध विकलांगता SmartPass जारी किया गया
- उत्तरी आयरलैंड में 60+ SmartPass जारी किए गए
- उत्तरी आयरलैंड में हाफ फेयर SmartPass जारी किया गया

आयु का प्रमाण

पहचान पत्र जिस पर आयु प्रमाण मानक योजना होलोग्राम (एक पास कार्ड) अंकित हो।

अन्य सरकार द्वारा जारी दस्तावेज़

- बायोमेट्रिक आप्रवासन दस्तावेज़
- EEA राज्य द्वारा जारी राष्ट्रीय पहचान पत्र
- उत्तरी आयरलैंड में चुनावी पहचान पत्र जारी किया गया

मतदाता प्राधिकरण प्रमाणपत्र: https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/voter-id/applying-a-voter-authority-certificate

अज्ञात निर्वाचक दस्तावेज़: https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/register-vote/register-vote-anonymously#

अज्ञात निर्वाचक का दस्तावेज़

अगर आपके पास फोटो ID का स्वीकृत प्रपत्र नहीं है, तो आप निःशुल्क मतदाता पहचान दस्तावेज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसे मतदाता प्राधिकरण प्रमाणपत्र के रूप में जाना जाता है, अगर:

- आपके पास फोटो ID का स्वीकृत प्रपत्र नहीं है
- आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपकी फोटो ID अभी भी आपके जैसी दिखती है या नहीं
- आप किसी अन्य कारण से ID के मौजूदा फॉर्म का इस्तेमाल करने को लेकर चिंतित हैं, जैसे कि जेंडर मार्कर का इस्तेमाल

आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 अप्रैल शाम 5 बजे है।
अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: electoralcommission.org.uk

पुराना फोटो ID

अगर आपका फोटो ID पुराना हो गया है, तब भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते वह आपके जैसा दिखता हो।

आपकी ID पर वही नाम होना चाहिए जिसका इस्तेमाल आपने वोट देने के लिए पंजीकरण करते वक्त किया था।

अगर आप व्यक्तिगत रूप से मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते हैं, तो आप पोस्ट या प्रॉक्सी द्वारा वोट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2 पोस्ट द्वारा:

- आपके मतपत्र चुनाव के दिन से लगभग एक सप्ताह पहले आपको भेज दिये जाएंगे।
- अपने वोट चिह्नित करें और उन्हें वापस भेजें ताकि वे 2 मई 2024 तक रात 10 बजे से पहले पहुंच जाएं।
- आपको अपने हस्ताक्षर और जन्मतिथि के साथ सुरक्षा घोषणा को पूरा करना याद रखना होगा।
- अगर आपको अपना वोट समय पर वापस नहीं मिलता है, तो उनकी गिनती नहीं की जाएगी।
- अगर आप उन्हें पोस्ट करना भूल गए हैं, तो आप अपना पूरा पोस्टल वोट उस नगर के किसी भी मतदान केंद्र पर ले जा सकते हैं जहां आप मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं या अपने नगर के चुनावी पंजीकरण कार्यालय में ले जा सकते हैं।
- अपना पोस्टल वोट हाथ से लौटाते समय आपको एक संक्षिप्त फॉर्म पूरा करना होगा। कृपया इसके लिए समय दीजिए।

नए पोस्टल वोट आवेदनों और मौजूदा पोस्टल या प्रॉक्सी वोटों में बदलाव की आखिरी तारीख 17 अप्रैल 2024 को शाम 5 बजे है।

gov.uk/apply-postal-vote पर जाएं या अपने नगर निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करें।

3 प्रॉक्सी का इस्तेमाल करना:

- अगर आप मतदान केंद्र तक जाने में सक्षम नहीं हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से अपना प्रॉक्सी बनने के लिए कह सकते हैं जिस पर आप भरोसा करते हों।
- इसका मतलब है कि वे आपकी ओर से वोट कर सकते हैं लेकिन आपको उन्हें बताना होगा कि आप किसे वोट देना चाहते हैं।

प्रॉक्सी (डाक प्रॉक्सी या आपातकालीन प्रॉक्सी नहीं) द्वारा वोट करने के लिए नए आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख 24 अप्रैल 2024 को शाम 5 बजे है।

आपातकालीन प्रॉक्सी आवेदन पाने की आखिरी तारीख 2 मई 2024 को शाम 5 बजे है।

gov.uk/apply-proxy-vote पर जाएं या अपने नगर निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करें।

londonelects.org.uk
@LondonElects
#LondonVotes पर और जानें

वोट करने का तरीका

लंदन के मेयर और लंदन विधानसभा चुनावों में वोट करने के लिए आपको 3 मतपत्र दिए जाएंगे:

लंदन के मेयर (गुलाबी मतपत्र):

- चुनें कि आप किसे लंदन का मेयर बनाना चाहते हैं।
- **अपनी पसंद के उम्मीदवार के आगे [X]** अंकित करें। केवल एक ही विकल्प चुनें।
- पिछले वर्षों में मेयर के लिए दूसरी पसंद करना संभव हो गया है। यह अब मामला ही नहीं है।

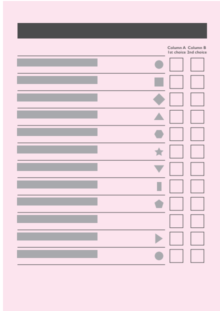

निर्वाचन क्षेत्र लंदन विधानसभा सदस्य (पीला मतपत्र):

- चुनें कि आप लंदन असेंबली में अपने स्थानीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसे करना चाहते हैं।
- केवल एक ही उम्मीदवार को वोट दें।
- **अपनी पसंद के आगे [X]** अंकित करें।

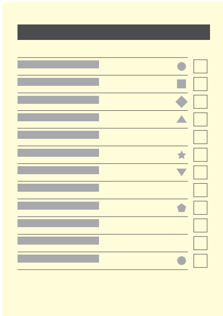

लंदन-व्यापी विधानसभा सदस्य (नारंगी मतपत्र):

- चुनें कि आप लंदन असेंबली में पूरे लंदन का प्रतिनिधित्व किसे करना चाहते हैं।
- केवल एक बार वोट करें।
- **अपनी पसंद के आगे [X]** अंकित करें।

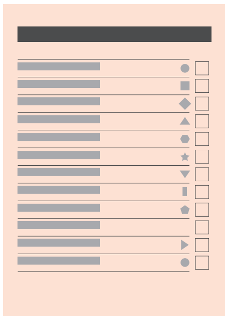

अधिक जानकारी

अप्रैल 2024 में, लंदन में मतदान करने के लिए पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को एक चुनाव पुस्तिका मिलेगी। इसमें लंदन विधानसभा के सभी उम्मीदवारों की सूची होगी, जिसमें मेयर पद के उम्मीदवारों के लघु घोषणापत्र भी शामिल होंगे जो एक प्रदान करना चुनते हैं और आपको कहां और कैसे मतदान करना है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। किसी कठिन स्थिति के प्रति सावधान रहें

अधिक जानकारी के लिए londonelects.org.uk पर जाएं, या अपने नगर निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करें।